[17/3/2021]

प्रश्न सं. [क्र. 4728]

मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 23 अप्रैल, 2018

क्रमांक: एफ 2–35 / 2018 / 1–55 :: राज्य शासन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के निम्नलिखित प्राध्यापकों को आगामी आदेश पर्यन्त उनके नाम के सम्मुख दर्शाए गये चिकित्सा महाविद्यालयों में अधिष्ठाता के पद पर नियुक्त करता है :–

स.क्र.	नाम एवं पद	चिकित्सा महाविद्यालय का नाम
01	02	03
1	डॉ. डी.के.पाल, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, पी.एस.एम. विभाग	चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा
2	डॉ. राजेश गौर, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, पैथोलॉजी विभाग	चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया
3	डॉ. संजय दीक्षित, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, पी.एस.एम. विभाग	चिकित्सा महाविद्यालय, रतलाम
4	डॉ. संजय दादू, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, फोरेंसिक मेडिसिन विभाग	चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(शर्मिला ठाकुर)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

तारां० प्रश्न क्रमांक 4728 परिशिष्ट-2

कार्यालय अधिष्ठाता,

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दतिया,म0प्र0

Telephone no. 07522-234001 website-www.datiamedicalcollege.com

Email ID- datiamedicalcollege@gmail.com & datiamedicalcollege2018@gmail.com

पता–29 वीं बटालियन के पास, एन.एच. 75, जिला दतिया पिन कोड. 475661

क्रमांक 32 / द.चि.म. / 2020 दतिया, दिनांक - 30/04/2020

आदेश

कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक 2264 / द.चि.म. / 2020 दिनॉक 8–4–2020 के संलग्न डॉ0 अमित कुमार यादव, निलम्बित सहायक प्राध्यापक, फॉरेन्सिक मेडीसिन विभाग, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया को आरोप पत्र, आधार पत्र, साक्ष्य सूची इत्यादि जारी किये जाकर 15 दिवस में उत्तर प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई थी। डॉ. यादव व्दारा आरोप पत्र आदि के बचाव में लेखी उत्तर दिनॉक 22–4–2020 प्रस्तुत किया है, जिसका अवलोकन किया गया। डॉ. यादव पर विरचित आरोपों के क्रम में उनके व्दारा प्रस्तुत लेखी उत्तर समाधान–कारक नहीं पाया गया है, परिणाम–स्वरूप डॉ0 अमित कुमार यादव, निलम्बित सहायक प्राध्यापक, फॉरेन्सिक मेडीसिन विभाग, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया के विरूद्ध नियमित विभागीय जॉच आदेशित की जाती है।

डॉ0 अमित कुमार यादव, निलम्बित सहायक प्राध्यापक, फॉरेन्सिक मेडीसिन विभाग, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया के विरूद्ध विभागीय जांच संपन्न करने हेतु डॉ. कपिल देव आर्य, सह प्राध्यायापक, मनोरोग विभाग, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया को विभागीय जॉच अधिकारी एंव डॉ. मिर्जा आर.यू.बेग, सह प्राध्यापक,एनाटॉमी विभाग, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

विभागीय जांच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह सम्बन्धित के विरूद्व 60 दिवस के भीतर विभागीय जांच पूर्ण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

(संभागीय आयुक्त एंव अध्यक्ष, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, दतिया व्दारा आदेशित)

अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
दतिया म0प्र0

पृष्ठ. क्र. 32-39/द.चि.म./2020 दतिया दिनांक - 30/04/2020

प्रतिलिपि :–

1– प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।

2– आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्य प्रदेश भोपाल।

3– संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म0प्र0 भोपाल।

4– कलेक्टर, जिला दतिया की ओर सूचनार्थ।

5– डॉ. कपिल देव आर्य, सह प्राध्यापक, मनोरोग विभाग, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया (विभागीय जांच अधिकारी) की ओर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

6– डॉ. मिर्जा आर.यू.बेग, सह प्राध्यापक, एनाटॉमी विभाग, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया (प्रस्तुतकर्ता अधिकारी) की ओर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

O/C

7– डॉ0 अमित कुमार यादव, निलम्बित सहायक प्राध्यापक, फॉरेन्सिक मेडीसिन विभाग, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया की ओर सूचनार्थ एंव पालनार्थ।

Received on original 30/04/2020 Dr. Kapil Dev Arya

Received Mirza R U Beg 1/5/20

अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
दतिया म0प्र0

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन